

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व करेड़ा

श्री अभिलेख निरीक्षक करेड़ा

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

करेड़ा की अनुसंधान के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2075-75 में खाता संख्या 1114 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरमामद से आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है)
1	2	3	4	5
1	करेड़ा	1114	सुगना पुर रामु	सुगनापुर कासुपुर कला लाल

उपखण्ड अधिकारी पौन
करेड़ा जिला

दिनांक- 3-1-22

क्रमांक/न्यायालय /2022 /132

प्रतिलिपि-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरमामद से शुद्ध किया जाकर चलना रिपोर्ट भिजवाये।

2- प्रार्थी श्री सुगना पुर कासु

उपखण्ड अधिकारी पौन
करेड़ा जिला



2022/324